प्रकरण संख्या :— 29 / 25
उनवान :— कन्हीराम बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :— 15.04.2026

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारीः—	पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :—	29 / 25
दायर दिनाँक :—	4.11.2025
निर्णय दिनाँकः—	15.04.2026

उनवान

1. कन्ही राम पुत्र रत्तीराम जाति लोधा निवासी रीछडी पोस्ट ठीकरिया तह0 मनोहरथाना

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तह0 मनोहरथाना

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, सरकार पैरोकार
2 श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, अधिवक्ता प्रार्थी

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, प्रार्थी कन्ही राम पुत्र रत्तीराम जाति लोधा निवासी रीछडी पोस्ट ठीकरिया तह0 मनोहरथाना ने जरिए अधिवक्ता दिनांक 04.11.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम रीछडी पटवार हल्का ठीकरिया के खाता संख्या नया 29 पुरानी 36 की कुल किता 04 की कुल आराजी 1.0603 है0 आराजी हिस्सा संपूर्ण एवं उक्त ग्राम के खाता संख्या नया 30 पुरानी 35 के खसरा संख्या 1172 / 1131 की 1. 1331 आराजी प्रार्थी एवं अन्य सह—खातेदारान के शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थना—पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पुत्र रत्ता दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटी से दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तवितक नाम कन्ही राम पुत्र रत्तीराम है। जैसा कि सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, आदि में प्रमाणित है।

प्रार्थी ने तहसीलदार मनोहरथाना को नाम संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र दिया

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

था, किन्तु कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई। अतः प्रार्थी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पुत्र रत्ता के स्थान पर कन्ही राम पुत्र रत्तीराम संशोधित किया जाए और राजस्व अभिलेखों में इसका संशोधन प्रभावी रूप से अमल में लाया जाए। साथ ही न्यायालय से प्रार्थी को आवश्यक व्यय, वाद के खर्च और अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की भी प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने इस प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

इस प्रार्थना–पत्र को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मनोहरथाना में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं जवाब सरकार पेरोकार का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम " कन्हैयालाल पुत्र रत्ता " के स्थान पर " कन्ही राम पुत्र रत्तीराम " दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 15.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
सहायक कलेक्टर एवं,
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना